राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 2(1)कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 जयपुर, दिनांकः 13-01-2014

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

विषयः–राजकीय सेवा में आवश्यक अस्थायी रूप से पदोन्नति पर वेतन स्थिरीकरण के संबंध में दिशा–निर्देश।

कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में उक्त विषय में जारी परिपत्र संख्या प. 2(1)कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 के भाग–3 के बिन्दु संख्या 11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

11. वेतन स्थिरीकरण

"आवश्यक अस्थायी पदोन्नति के आधार पर पदोन्नत होकर कार्यरत राजसेवक का वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम–24 के अन्तर्गत होगा लेकिन यदि पदोन्नत राजसेवक को अनुभव में छूट प्रदान की गयी हो तो उनको पूर्व पद के रनिंग पे–बैण्ड के वेतन के साथ पदोन्नत पद की ग्रेड–पे का लाभ देय होगा तथा मूल वेतन की 3 प्रतिशत राशि का लाभ पदोन्नत पद के लिये नियमों में विहित अवधि का पूर्ण अनुभव प्राप्त होने पर ही देय होगा। यदि राजसेवक को ए.सी.पी. नियमों के तहत उच्चतर ग्रेड–पे पहले से ही प्राप्त है तो ऐसे राजसेवक को आवश्यक अस्थायी आधार पर पदोन्नति पर कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा।"

यह संशोधन दिनांक 01.01.2007 से प्रभावी होगा।

उक्त परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101305329 दिनांक 01.01.2014 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त शासन सचिव

02/2014

1/Modi ji//Notification/Circular/2014